संख्या- 17/2019/1829/33-3-2019-30/2017 टी0सी0-III

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2-समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पंचायतीराज अनुभाग - 3 **लखनऊ दिनांक- 06 अगस्त, 2019**

विषय:- **14वें वित्त आयोग के संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित की जाने वाली धनराशि का उपभोग/व्यय पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार पंचायतीराज मंत्रालय के पत्र संख्या- एम0-11015/307/2017-एफ0डी0, दिनांक-20.03.2018 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-89/2018 /4320/33-3-2018-30/2017, टी0सी0 3 दिनांक- 10.12.2018 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश में 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि का व्यय/भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किये जाने हेतु समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

2- श्री संजीव पटजोशी संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-एन0-11015/307/2017-एफ0डी0, दिनांक-25.03.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का व्यय/ भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा प्रियासॉफ्ट व पी0एफ0एम0एस0 के एकीकृत के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। प्रियासॉफ्ट से एकीकृत के उपरान्त पी0एफ0एम0एस0 से धनराशि का भुगतान तब तक प्रारम्भ नही किया जा सकता है जब तक कि प्रियासॉफ्ट पर उस ग्राम पंचायत की उस दिनांक तक की दैनिक पुस्तिका बन्द न हो, जिस दिनांक से पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान किया जाना है। ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम निधि-1 से धनराशि के निरन्तर आहरण के कारण ग्राम पंचायतों की दैनिक पुस्तिका बन्द नही हो पा रही है। दिनांक-15.08.2019 से पूरे प्रदेश में पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू की जानी है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक-15.08.2019 तक निम्नांकित कार्यवाही पूर्ण करा ली जाए:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- समस्त ग्राम पंचायतों की दैनिक पुस्तिका बन्द कर ग्राम पंचायतों के मेकर एवं चेकर की डी0एस0सी0 को प्रियासॉफ्ट पर पंजीकृत कराकर उसका अनुमोदन कराकर भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ करायी जाय।

2- समस्त ग्राम पंचायतें 15 अगस्त, 2019 से पूर्व प्रियासॉफ्ट पर समस्त वेण्डर्स/संस्थाओं/कर्मचारियों/लाभार्थियों के समस्त बैंक विवरण सहित पंजीकरण पूर्ण करायें।

3- निदेशक पंचायतीराज जनपद स्तर पर पी0एफ0एम0एस0 व प्रियासॉफ्ट के इन्टीग्रेशन से भुगतान के सम्बन्ध में 15 अगस्त, 2019 तक वृहद प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण करायें।

4- निदेशक पंचायतीराज जनपदवार दैनिक प्रगति से शासन को अवगत करायेंगे।

5- दिनांक-15 अगस्त, 2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खातों से पी0एफ0एम0एस0 को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाय।

अत: ग्राम पंचायतों की प्रियासॉफ्ट पर अद्यतन दैनिक पुस्तिका बन्द कराकर शत-प्रतिशत डी0एस0सी0 पंजीकरण की कार्यवाही 15 अगस्त, 2019 से पूर्व पूर्ण कराते हुए उपरोक्त निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव पंचायतीराज, मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।

2- सचिव वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

3- प्रमुख स्टॉफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

4- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

6- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।

7- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in